

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश
संख्या-06/3/अति-4/2018-19
प्रयागराज: दिनांक : 02 नवम्बर, 2019

प्रेस-विज्ञप्ति

सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) पुरुष/महिला शाखा परीक्षा 2018, दिनांक 29-07-2018 को प्रदेश के 39 जनपदों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर सम्पन्न करायी गयी थी। प्रश्नगत परीक्षा के जीव विज्ञान पुरुष शाखा में कुल 22717 तथा जीव विज्ञान महिला शाखा में कुल 24592 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। प्रश्नगत पद का चयन 150 अंकों का है। प्रश्नगत परीक्षा में जीव विज्ञान पुरुष शाखा में 336 रिक्तियों के सापेक्ष 336 अभ्यर्थी औपबन्धिक रूप से चयनित हैं तथा जीव विज्ञान महिला शाखा में 259 रिक्तियों के सापेक्ष 259 अभ्यर्थियों का चयन औपबन्धिक रूप से किया गया है। परीक्षा परिणाम सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ आयोग कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दिया गया है तथा आयोग की वेबसाइट <http://uppsc.up.nic.in> पर भी उपलब्ध है।

2-प्रश्नगत परीक्षा का सम्पूर्ण परिणाम पूर्णतया औपबन्धिक है। अतः अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे वांछित मूल अभिलेखों के सत्यापन हेतु आयोग द्वारा अलग से जारी होने वाली विज्ञप्ति के अनुसार समयान्तर्गत उपस्थित होकर अपने अभिलेखों का सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

3-प्रश्नगत परीक्षा का परिणाम मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या-17183/2018, विजय नाथ व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा याचिका संख्या-15944/2018 विमल चन्द्र तिवारी बनाम राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

4. जीव विज्ञान (महिला शाखा) के सन्दर्भ में मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या-10147/2018, 17825/2018 में जीव विज्ञान महिला शाखा से संबंधित याचियों का अभ्यर्थन उक्त याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

5. जीव विज्ञान पुरुष शाखा के सन्दर्भ में योजित याचिका संख्या-11041/2018, 13667/2018, 13772/2018, 10348/2018, 13661/2018, 13597/2018, 13776/2018, 13751/2018, 13687/2018, 553/2018, एवं 9614/2018, से संबंधित य

।चियों का अभ्यर्थन उक्त याचिकाओं में मा0 न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

6— प्रश्नगत परीक्षा परिणाम से सम्बन्धित प्राप्तांक तथा श्रेणीवार/पदवार कट आफ अंक आयोग की वेबसाइट पर यथासमय प्रदर्शित कर दिये जायेंगे। इस आशय की सूचना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी। अतः इस सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर विचार किया जायेगा।

(जगदीश)
सचिव।